बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

राज्य के सरकारी अर्द्धसरकारी अथवा सरकार से प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों/शिक्षण संस्थानों अथवा सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० बोर्ड से अंगीभूत विद्यालयों/मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त अनुदानित एवं गैर अनुदानित मदरसा में अध्यनरत अधिसूचित अल्पसंख्यक यथा-मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं से वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाना है । कक्षा 1 से 10 तक के छात्र/छात्रा ऑनलाईन आवेदन करेंगे, जिसका वेबसाईट www.scholarships.gov.in एवं National Scholarships Portal है ।

अर्हताऐं:-

1. अभियार्थी को वर्ग 1 से 10 तक का छात्र होना चाहिए ।
2. गत परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो (वर्ग 1 को छोड़कर) ।
3. परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो ।
4. ऑनलाईन आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा का आधार नम्बर होना आवश्यक है एवं बैंक खाता/संयुक्त खाता आधार सीडेड होना आवश्यक है । यदि आधार कार्ड निर्गत नहीं हुआ हो तो Enrollment No की छायाप्रति या आधार निर्गत करने के संबंध में अनुरोध पत्र की छायाप्रति मान्य होगा । यदि Enrollment No या आधार नम्बर निर्गत करने से संबंधित अनुरोध पत्र उपलब्ध नहीं है तो निम्नांकित पहचान-पत्र मान्य होंगे ।
   - बैंक पासबुक का छायाप्रति ।
   - राशन कार्ड का छायाप्रति ।
   - पैन कार्ड का छायाप्रति
   - पासपोर्ट का छायाप्रति ।
   - ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति ।
   - Certificate of Identity having Photo of such student issued by a Headmaster/Principal with offical seal.
   - Any other documents specified by the State Government or Union Territory Administration.
5. विद्यार्थी द्वारा कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं ली गई हो ।
6. नवीन (Fresh) छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की समय-सीमा **01 जुन 2017 से 31 अगस्त 2017** के मध्य रात्रि तक निर्धारित है ।
7. नवीकरण (Renewal) छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की समय-सीमा **01 जुन 2017 से 31 जुलाई 2017** के मध्य रात्रि तक निर्धारित है ।
8. एक परिवार के केवल दो छात्र/छात्राओं को यह छात्रवृत्ति दी जायेगी ।
9. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा का दावा 50,000/- (पचास हजार) तक होने पर कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किया जाना है । आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन की हार्डकॉपी सभी अनुलग्नकों सहित अपने शिक्षण संस्थान में जमा करेंगे एवं जिन अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का दावा 50,000/- (पचास हजार) से अधिक है वे आवश्यक सभी दस्तावेज वेबसाईट पर अपलोड करेंगे ।

कृ०पृ०उ०.....

10. सभी स्कूल/संस्थान द्वारा ऑनलाईन आवेदन को ऑनलाईन अग्रसारित करना अनिवार्य है ।

11. जिन नवीन/नवीकरण छात्रों का प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 2016-17 में ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन स्वीकृत है परन्तु किसी प्रकार की त्रुटि के कारण छात्रवृत्ति की राशि अंतरित की जाने की प्रक्रिया में है वे छात्र 2017-18 में नवीकरण ऑनलाईन आवेदन करेंगे ।

12. बिहार राज्य का लक्ष्य 214215 निर्धारित है ।

<u>आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज/प्रमाण पत्रः-</u>

- Institution Verification Form
- Family annual Income Certificate issued by the authority designated by the State Government/UT Administration (as per the scheme requirement)
- Photocopy of last Passed Board Examination for fresh application
- Fee Receipt / Fee Structure of Current Course Year
- Photocopy of Student's Aadhar Seaded Bank Account Pass Book
- Photo copy of Aadhar Card
- Photocopy of Last Year Exam Marksheet only for Renewal Application
- Photocopy of Residential Certificate
- A valid Mobile Number (Maximum two applications per mobile)
- An Email Id (Maximum two applications per mobile)
- Community Certificate: Self Certificated/Self Decelared
- Domicile/Residential Certificate